Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA**

**[L.D. Appeal Case No.-42/2025-26]**

**Ritesh Kumar & Anr.....Appellants.**

**Versus**

**Smt. Manju Devi & Anr.....Respondents.**

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **03.4.2026** | **आदेश**<br>यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-71/2024-25 में दिनांक-25.2.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।<br>प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :- | |

| अंचल | मौजा/थाना नं0 | खाता | खेसरा | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| पूर्णिया पूर्व | मरंगा/110 | 32 | 3633 | 37डी.3कड़ी |

दिनांक 17.3.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन का क्रय उनके द्वारा जमीन के वैध भू-धारी से दो अलग-अलग निबंधित केवाला के आधार पर वर्ष-2023 में किया गया है। जिसके उपरान्त प्रश्नगत जमीन पर उनका दखल-कब्जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय के स्तर से प्रश्नगत जमीन के संदर्भ में चल रहे स्वत्व वाद सं. -154/2018 लंबित रहने के बावजूद भी विपक्षी के पक्ष में फैसला दिया गया है। जो विधिमान्य नहीं है। अतः अपीलार्थी की ओर से निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं.-01 का कहना है कि अपीलार्थी के विक्रेता द्वारा वर्ष-2023 में गलत चौहद्दी दर्ज कर केवाला किया गया है। जिसके उपरान्त अपीलार्थी के नामान्तरण वाद को अंचल कार्यालय, पूर्णिया पूर्व द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। तथा यह कि पुनः वर्ष-2025 के केवाला के आधार पर अपीलार्थी के नाम से नामान्तरण किया गया। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी के विक्रेता द्वारा वर्ष-1986 में निबंधित केवाला के माध्यम से प्रश्नगत खाता में 03 बीघा 11 कट्ठा जमीन का क्रय किया गया, जिसके उपरान्त समय-समय पर विभिन्न लोगों को उक्त जमीन का बिक्री कर दिया गया। शेष बचे 49 डी. जमीन को अपीलार्थी के विक्रेता द्वारा वर्ष 2023 में गलत चौहद्दी के आधार पर बेच दिया गया। जो गलत है। अतः विपक्षी की ओर से अपीलार्थी के द्वारा लाये गये अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा बताया गया है कि अपीलार्थी के स्तर से प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन का बिक्री किसी अन्य व्यक्ति को दो अलग-अलग निबंधित केवाला के माध्यम से वर्ष-2025-26 में कर दिया गया है। जिसके नामान्तरण पर भी रोक लगाने का अनुरोध विपक्षी सं.-01 द्वारा किया गया है।

विपक्षी सं.-02 का कहना है कि विपक्षी सं.-01 द्वारा उन पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। तथा यह कि उनके द्वारा अलग-अलग निबंधित केवाला के आधार पर अपीलार्थी को जमीन का बिक्री किया गया है। उनका यह भी कहना है कि उनके एवं विपक्षी सं.-01 के विक्रेता मो. इब्राहिम के द्वारा प्रश्नगत जमीन पर व्यवधान उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्वत्व वाद सं.-154/2018 दायर किया गया है। जिसे दिनांक-23.7.2025 को सब-जज V, पूर्णिया द्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः विपक्षी सं.-02 द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन के संदर्भ में माननीय व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया में दायर किये गये स्वत्व वाद सं.-154/2018 में दिनांक-23.7.2025 को पारित आदेश में मामले को खारिज कर दिया गया था। परन्तु कागजातों के अवलोकन से यह भी परिलक्षित हो रहा है कि उक्त आदेश के आलोक में माननीय व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया में उक्त स्वत्व वाद को पुनः संचालित करने हेतु दिनांक-25.8.2025 को विविध वाद सं.-40/2025 दायर किया गया है। जो वर्त्तमान में माननीय व्यवहार न्यायालय में सुनवाई हेतु लंबित है। कागजातों के आधार पर यह भी परिलक्षित हो रहा है कि उभय पक्ष के द्वारा वैध केवाला के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर

| | | | |
|---|---|---|---|
| • | **03.4.2026** | अपना-अपना दावा किया जा रहा है। अतः प्रश्नगत जमीन पर स्वत्व निर्धारण का जटिल प्रश्न निहित है। जिसका निराकरण सक्षम न्यायालय (Civil Court) के समक्ष Title Suit में ही हो सकता है।<br>निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।<br>आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।<br>Ranjay K.<br>03/4/2026.<br>आयुक्त,<br>पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।<br><br>लेखापित एवं शुद्धित।<br>Ranjay K.<br>03/4/2026.<br>आयुक्त,<br>पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। | |